(161)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ जबलपुर निग – 3433-I-16

1. वैजयंतीबाई उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नि मुलाम सिंह लोधी
   आ.स्व. निजाम सिंह लोधी निवासी– ग्राम–झामर, तहसील व जिला नरसिंहपुर, म.प्र.
2. देवकाबाई उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नि स्व. माधव लोधी
   आ.स्व. निजाम सिंह लोधी निवासी– कंदेली, बेलापुकर वार्ड
   कंदेली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर, म.प्र. .... रिवीजनकर्तागण

बनाम

काशीबाई उम्र लगभग 65 वर्ष बेवा 1. निजाम सिंह, 2. चौखेलाल लोधी

निवासी– ग्राम–झामर, तहसील व जिला नरसिंहपुर, म.प्र. ....
उत्तरवादी

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं. 1959

रिवीजनकर्त्तागण यह रिवीजन न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय नरसिंहपुर के द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन पर पारित आदेश दि. 11.08. 2016, 14,09,2016 से क्षुब्ध होकर अन्य अनेक आधारों में से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रही है:–

मामले के तथ्य

1. यह कि मौजा मेहका न.ब. 484 प.ह.न. 13 तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 83/2 रकवा 0.888 हेक्टर एवं खसरा नं. 83/6 रकवा 0.323 हे. जुमला रकवा 1.211 हे. कृषि भूमि रिवीजनकर्त्ता एवं उत्तरवादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही। उक्त भूमियां रिवीजनकर्त्तागण की पैतृक भूमियां है जिसमें रिवीजनकर्त्तागण एवं उत्तरवादी का सम्मान हक व अधिकार है।
2. यह कि रिवीजनकर्त्तागण उत्तरवादी के प्रथम पति स्व. निजाम सिंह पुत्रियां है, जिनका विवाह हो चुका है। उनके विवाह के उपरांत उत्तरवादी ने दूसरा विवाह चौखेलाल लोधी निवासी–ग्राम झामर से कर लिया था, तथा पुत्रियों से नाता रिश्ता तोड़ दिया था।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3433-एक/16 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	